

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी-सीता शर्मा आर.ए.एस

मैनुयल केस न :- RS/2020/14

पोर्टल केस न :- 2020/00174

1 सुबानखां पुत्र गारीखां वगै. जाति मुसलमान निवासी चक 5 एसडीडब्ल्यूएम यू ए तह. छतरगढ़ जिला बीकानेर।

वादी

बनाम

- 1 गारीखां पुत्र मुस्लिमखां जाति मुसलमान निवासी 4 आरजेडी तह.छतरगढ़ जिला बीकानेर।
- 2 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व, छतरगढ़।
- 3 उपपंजीयक छतरगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए

उपस्थिती-वादी वकील एवं वादी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक:-

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक 12/03/2020 को पत्रावली पेशी में ली गई। जो शामिल पत्रावली रहें। वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर वाद को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विद्वा करने का निवेदन किया है। जिसे स्वीकार किया जाता है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर विद्वा किया जाता है तथा पत्रावली बाद विद्वा नम्बर दायरा से कम शुमार हो तथा बाद फैसल दाखिल दफ्तर हों।

यह आदेश आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीता शर्मा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ़(बीकानेर)

